(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलेक्टर मुकाम लोहावट

विकास बनाम गंगा वगैरा

किस्म मुकदमा अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम मुकदमा सं. 44/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06.24	प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का जरिये अधिवक्ता श्री सुमेरसिंह चौहान ने पेश किया जो दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थी के अधिवक्ता ने अंतरिम स्थगन जारी करने का निवेदन किया जिस पर प्रार्थी अधिवक्ता की अंतरिम स्थगन पर एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन बहस पर मनन करने पर पाया गया कि अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के आधार पर प्रकरण प्रथम दृष्टया अपूर्णीय क्षति का प्रतीत होता है। अतः ग्राम मदरूपनगर पटवार हल्का दयाकोर तहसील लोहावट स्थित ख.नं. 778/609 रकबा 5.9489 हैक्टेयर, ख.नं. 779/609 रकबा 0.0890 हैक्टेयर, ख.नं. 797/594 रकबा 5.4715 हैक्टेयर, ख.नं. 898/594 रकबा 0.0890 हैक्टेयर, ख.नं. 799/594 रकबा 0.0242 हैक्टेयर व ग्राम डुमाडेरीउर्फखानपुर पटवार हल्का जालोडा स्थित ख.नं. 125 रकबा 6.1431 हैक्टेयर, ग्रमम मेघवालों की ढाणी पटवार हल्का जालोडा स्थित ख.नं. 162 रकबा 21.0032 हैक्टेयर व ग्राम चटालनगर पटवार हल्का दयाकोर स्थित ख.नं. 29 रकबा 8.6360 हैक्टेयर काश्त भूमि में अन्तरिम निषेधाज्ञा विरूद्व अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 9 व 16 के इस आशय की जारी की जाती है कि अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 9 व 16 आगामी तारिख पेशी तक उक्त वादग्रस्त आराजी में मौके एवं राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। अप्रार्थीगण को नोटिस प्रार्थी अधिवक्ता जरीये रजिस्ट्रर्ड डाक से भेजकर डाक रसीदे सात दिवस के भीतर पेश करे। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 11/07/2024 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर लोहावट जिला फलौदी	
7.24	पत्रावली आज मूल वाद तलब किये जाने के प्रार्थना पत्र पेश होने पर वाद के साथ तारिख पेशी पर ली गयी। चूंकि मूल वाद पत्रावली जरिये प्रत्याहरण खारिज की जा चुकि है। इसलिए अन्तरिम प्रार्थना पत्र का कोई औचित्य नहीं होने से खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर लोहावट जिला फलौदी	विकास (हस्ताक्षर)

Scanned with CamScanner